

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :- मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण नं० 18/2019

LCMS:-2019/00278

दायरा दिनांक 31.01.2019

1. गोमददास
  2. दीपदास
  3. मोहनदास
- पुत्रगण अखाराम अकवाम स्वामी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम.  
(हरदासवाली) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

- वादीगण

बनाम

1. कालूराम
  2. श्योचन्द
  3. धर्मपाल
  4. वेद प्रकाश
- पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम स्वामी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम.  
(हरदासवाली) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
  6. मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आर.टी.ए.



उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट - वादीगण
2. श्री संजय सैन एडवोकेट - प्रतिवादी नं. 1 ता 4 व 6
3. परोकार राज नायब तहसीलदार - प्रतिवादी नं 5

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 03/11/2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा सरस्वती, काशीदेवी, कमलादेवी, पेमादेवी, कृष्णा पुत्रीया अखाराम व डालदास पुत्र अखाराम, कान्ता पुत्री ओमप्रकाश के नाम से वाके चक 2 बी.पी. एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 2/4 के पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24-25/0.506 हैक्. कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 173/11 (32) के किला नं. 11/0.253, 20/0.253, 21/2 में 0.228 = 0.734 हैक्. कमाण्ड व पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 = 2.530 हैक्. कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 173/20 (42) के किला नं. 15-16/0.506 हैक्. कमाण्ड व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16 ता 20/1.265, 22/1 में 0.126 = 1.391 हैक्. कमाण्ड

(मनोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज०)

लगातार पेज 2 पर



इस प्रकार कुल तादादी 5.667 हैक. कमाण्ड मय खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तथा सरस्वती, काशीदेवी, कमलादेवी, पेमादेवी, कृष्णा पुत्रीया अखाराम व डालदास पुत्र अखाराम, कान्ता पुत्री ओमप्रकाश ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.06.2018 को उप-पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में पंजीबद्ध कर अपना हक त्याग कर दिया है। उक्त जैर प्रकरण रकबा में वादीगण का चक 2 बी.पी.एस. एम. के खाता संख्या 2/4 की 5.667 हैक. कमाण्ड मय खाला में 3/4 हिस्सा यानि 4.250 हैक. रकबा व प्रतिवादीगण का 1.417 हैक. रकबा मुताबिक दस्तबरदारी के खातेदार कृषक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में अच्छी में से अच्छी व खराब मे से खराब के आधार पर घरु बंटवारा किया हुआ है व घरु बंटवारा में वादी नं. 1 गोमददास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/20 (42) के किला नं. 15-16/0.506 हैक. व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16/0.013 हैक. उतरी पासा, 17/0.013 हैक. उतरी पासा, 18/0.013 हैक. उतरी पासा, 19/0.134 हैक., 20/0.253 हैक. 21/0.126 हैक. = 0.552 हैक. इस प्रकार कुल 1.058 हैक. कमाण्ड मय खाला व वादी नं. 2 दीपदास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 4 ता 7 में 1.012 हैक., 15/0.253 हैक., 16/0.127 हैक. = 1.392 हैक. व पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24/0.086 हैक., 25/0.039 हैक. = 0.125 हैक. इस प्रकार कुल 1.517 हैक. कमाण्ड मय खाला भूमि व वादी नं. 3 मोहनदास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24/0.167 हैक., 25/0.214 हैक. = 0.381 हैक. व पत्थर नं. 173/11 (32) के किला नं. 11/0.253 हैक., 20/0.253 हैक., 21/2 में 0.228 हैक. = 0.734 हैक. व पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 16/0.126 हैक., 25/0.253 हैक. = 0.379 हैक. इस प्रकार कुल 1.494 हैक. कमाण्ड मय खाला भूमि व प्रतिवादीगण को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 14/0.253 हैक., 17/0.253 हैक., 24/0.253 हैक. = 0.759 हैक. व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16/0.240 हैक., 17/0.240 हैक., 18/0.240 हैक., 19/0.120 हैक. = 0.840 हैक. इस प्रकार कुल 1.599 हैक. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि पर कब्जा काशत है। इसलिए वादीगण ने यह दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं 1 ता 4 की तरफ से श्री संजय सैन एडवोकेट हाजिर आये व इकबाल दावा पेश किया। जबाब स्टेट प्रस्तुत नहीं होने पर बन्द किया जाता है व प्रतिवादी नं. 6 की तरफ से श्री संजय सैन एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी. पक्षकार बनने हेतू पेश किया गया। वाद के वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से दिनांक 13.08.2020 को राजीनामा घरु बंटवारा पेश किया जो शामिल मिसल रहे।

अधिवक्तागण की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा सरस्वती, काशीदेवी, कमलादेवी, पेमादेवी, कृष्णा पुत्रीया अखाराम व डालदास पुत्र

(मनोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज 3 पर

(3)

अखाराम, कान्ता पुत्री ओमप्रकाश के नाम से वाके चक 2 बी.पी.एस.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता संख्या 2/4 के पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24-25/0.506 हैक. कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 173/11 (32) के किला नं. 11/0.253, 20/0.253, 21/2 में 0.228 = 0.734 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 = 2.530 हैक. कमाण्ड मय खाला व पत्थर नं. 173/20 (42) के किला नं. 15-16/0.506 हैक. कमाण्ड व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16 ता 20/1.265, 22/1 में 0.126 = 1.391 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 5.667 हैक. कमाण्ड मय खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तथा सरस्वती, काशीदेवी, कमलादेवी, पेमादेवी, कृष्णा पुत्रीया अखाराम व डालदास पुत्र अखाराम, कान्ता पुत्री ओमप्रकाश ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.06.2018 को उप-पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में पंजीबद्ध कर अपना हक त्याग कर दिया है। उक्त जैर प्रकरण रकबा में वादीगण का चक 2 बी.पी.एस.एम. के खाता संख्या 2/4 की 5.667 हैक. कमाण्ड मय खाला में 3/4 हिस्सा यानि 4.250 हैक. रकबा व प्रतिवादीगण का 1.417 हैक. रकबा मुताबिक दस्तबरदारी के खातेदार कृषक है।



अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक घर बंटवारा के वादी नं. 1 गोमददास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/20 (42) के किला नं. 15-16/0.506 हैक. व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16/0.013 हैक. उत्तरी पासा, 17/0.013 हैक. उत्तरी पासा, 18/0.013 हैक. उत्तरी पासा, 19/0.134 हैक., 20/0.253 हैक. 21/0.126 हैक. = 0.552 हैक. इस प्रकार कुल 1.058 हैक. कमाण्ड मय खाला व वादी नं. 2 दीपदास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 4 ता 7 में 1.012 हैक., 15/0.253 हैक., 16/0.127 हैक. = 1.392 हैक. व पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24/0.086 हैक., 25/0.039 हैक. = 0.125 हैक. इस प्रकार कुल 1.517 हैक. कमाण्ड मय खाला भूमि व वादी नं. 3 मोहनदास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24/0.167 हैक., 25/0.214 हैक. = 0.381 हैक. व पत्थर नं. 173/11 (32) के किला नं. 11/0.253 हैक., 20/0.253 हैक., 21/2 में 0.228 हैक. = 0.734 हैक. व पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 16/0.126 हैक., 25/0.253 हैक. = 0.379 हैक. इस प्रकार कुल 1.494 हैक. कमाण्ड मय खाला भूमि व प्रतिवादी नं. 1 ता 4 व 6 को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 14/0.253 हैक., 17/0.253 हैक., 24/0.253 हैक. = 0.759 हैक. व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16/0.240 हैक., 17/0.240 हैक., 18/0.240 हैक., 19/0.120 हैक. = 0.840 हैक. इस प्रकार कुल 1.599 हैक. कमाण्ड मय खाला ब.हि.बराबर रकबा के खातेदार कृषक है व राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भमोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक (सुलक्षण)  
सूरतगढ़

-: डिक्री व मुकदम इख्तदाई :-  
(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़  
बइजलास - मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

1. गोमददास } पुत्रगण अखाराम अकवाम स्वामी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम.  
2. दीपदास } (हरदासवाली) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।  
3. मोहनदास }

- वादीगण

बनाम

1. कालूराम } पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम स्वामी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम.  
2. श्योचन्द्र } (हरदासवाली) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।  
3. धर्मपाल }  
4. वेद प्रकाश }
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।  
6. मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चक 2 बी.पी.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीए मुकदमा नं. 18/2019 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र सुथार व वकील प्रतिवादी नं. 1 ता 4 व 6 श्री संजय सैन पेश होने पर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक सहमति पत्र घरु बंटवारा वादी नं. 1 गोमददास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/20 (42) के किला नं. 15-16/0.506 हैक्. व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16/0.013 हैक्. उत्तरी पासा, 17/0.013 हैक्. उत्तरी पासा, 18/0.013 हैक्. उत्तरी पासा, 19/0.134 हैक्., 20/0.253 हैक्. 21/0.126 हैक्. = 0.552 हैक्. इस प्रकार कुल 1.058 हैक्. कमाण्ड मय खाला व वादी नं. 2 दीपदास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 4 ता 7 में 1.012 हैक्., 15/0.253 हैक्., 16/0.127 हैक्. = 1.392 हैक्. व पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24/0.086 हैक्., 25/0.039 हैक्. = 0.125 हैक्. इस प्रकार कुल 1.517 हैक्. कमाण्ड मय खाला भूमि व वादी नं. 3 मोहनदास को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/2 (26) के किला नं. 24/0.167 हैक्., 25/0.214 हैक्. = 0.381 हैक्. व पत्थर नं. 173/11 (32) के किला नं. 11/0.253 हैक्., 20/0.253 हैक्., 21/2 में 0.228 हैक्. = 0.734 हैक्. व पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 16/0.126 हैक्., 25/0.253 हैक्. = 0.379 हैक्. इस प्रकार कुल 1.494 हैक्. कमाण्ड मय खाला भूमि व प्रतिवादी नं. 1 ता 4 व 6 को चक 2 बी.पी.एस.एम. के पत्थर नं. 173/3 (33) के किला नं. 14/0.253 हैक्., 17/0.253 हैक्., 24/0.253 हैक्. = 0.759 हैक्. व पत्थर नं. 173/28 (43) के किला नं. 16/0.240 हैक्., 17/0.240 हैक्., 18/0.240 हैक्., 19/0.120 हैक्. = 0.840 हैक्. इस प्रकार कुल 1.599 हैक्. कमाण्ड मय खाला ब.हि.बराबर रकबा के खातेदार कृषक है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के लिये श्रीमान् तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को आदेश दिये जाते है।

आज .....X..... मुबलिंग .....X..... बाबत् .....X..... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्ध बशरह .....X..... कस्दो की पालना .....X.....आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03/11/2020 को जारी की गयी।



(मनोज कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (बाजो)